षोडश

बिहार विधान सभा

पंचदश सत्र

अल्पसूचित प्रश्न

वर्ग-4

वृहस्पतिवार, तिथि 15 फाल्गुन, 1941 (श०)
05 मार्च, 2020 (ई०)

प्रश्नों की कुल संख्या 03

(1)	नगर विकास एवं आवास विभाग	02
(2)	सहकारिता विभाग	01
	कुल योग --	03

अधिकरण का गठन कराना

17. श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह--क्या मंत्री, सहकारिता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बिहार स्वावलम्बी समिति अधिनियम गठन एवं प्रक्रिया नियमावली, 2002 के नियम 3(2) के अन्तर्गत सहकारी अधिकरण के गठन एवं सदस्यों की नियुक्ति हेतु दिनांक 6 अक्टूबर, 2017 को दैनिक समाचार-पत्र में विज्ञापन निकाला गया था, पुनः 12 अक्टूबर, 2019 को विज्ञापन निकालकर सक्षम व्यक्तियों से आवेदन माँगा गया है, फिर भी पाँच माह बीतने के बाद भी अधिकरण का गठन नहीं हो पाया है, जिससे हजारों समितियों का कार्य प्रभावित है, यदि हाँ, तो इसका क्या औचित्य है ?

दोषी पर कार्रवाई

18. श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी--दिनांक 12 फरवरी, 2020 को पटना से हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में प्रकाशित शीर्षक "नालों की फर्जी सफाई कर पैसे निकाले, इसलिये हम डूबे अब 13 बड़े नालों की साल में तीन बार की जायेगी सफाई" को ध्यान में रखते हुये क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि गत वर्ष अक्टूबर माह में भारी वर्षा के कारण छोटी-बड़ी नालियों के बंद रहने के कारण पूरे पटना के अधिकांश हिस्सों में पानी भर गया था ;

(2) क्या यह बात सही है कि सरकार ने स्वीकार किया है कि नालियों की फर्जी सफाई कर फर्जी तरीके से अधिकारियों द्वारा पैसे की निकासी की गयी है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार फर्जी निकासी करने वाले अधिकारी, कर्मचारी एवं अन्य दोषियों को चिह्नित कर कौन-सी कार्रवाई करना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

19. श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी--स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 10 फरवरी, 2020 को प्रकाशित शीर्षक "पाँच साल बीतने को है, एक भी शहर नहीं बना स्मार्ट" को ध्यान में रखते हुये क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पाँच साल में राज्य के चार शहरों को स्मार्ट शहर के रूप में विकसित करने का निर्णय भारत सरकार द्वारा किया गया था ;

(2) क्या यह बात सही है कि स्मार्ट शहर को विकसित करने हेतु प्रत्येक शहर को दो-दो सौ करोड़ आवंटित किया गया, जिसमें केन्द्र एवं राज्य की भागीदारी 50-50 प्रतिशत है, जो अभीतक खर्च नहीं की जा सकी है ;

(3) क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार द्वारा केन्द्र की राशि का खर्च संबंधी उपयोगिता प्रमाण-पत्र नहीं दिये जाने के कारण केन्द्र ने दूसरी किस्त नहीं दी है, जिससे स्मार्ट सिटी का विकास अवरुद्ध है ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार आवंटित राशि को खर्च नहीं करने वाले दोषी पदाधिकारियों पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पटना :
दिनांक 5 मार्च, 2020 (ई0) ।

बटेश्वर नाथ पाण्डेय,
सचिव,
बिहार विधान सभा ।

बि0स0मु0, 162 (एल0ए0), 2019-20-डी0टी0पी0-550